



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 5, 2017/आश्विन 13, 1939

No. 817]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2017/ASVINA 13, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1220(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक (समूह 'क' राजपत्रित पद, अननुसचिवीय) के पद की भर्ती की पद्धति तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, वैज्ञानिक (समूह 'क' राजपत्रित पद, अननुसचिवीय), 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति तथा प्रोन्नति.—(1) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'डी' के पद चयन पद होंगे।

(2) प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) और सीधी भर्ती द्वारा, के माध्यम से भरे गए वैज्ञानिक 'बी' के पदों को छोड़कर, प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती के प्रयोजन से इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से छूट होगी।

(3) वैज्ञानिक 'बी' के पदों के लिए भर्ती अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार, या तो प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) और सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा की जाएगी।

(4) वैज्ञानिक 'सी' से 'डी' के पदों के लिए भर्ती, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नमनीय अनुपूरक योजना के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से की जाएगी।

(5) अनुसूची के स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अनुभव, बुनियादी शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् अर्जित किया गया अनुभव होगा।

4. अधिकारी के भारत और विदेश में सेवा करने के दायित्व.—सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में किसी भी स्थान पर अथवा भारत से बाहर, जब कभी भी प्रतिनियुक्त किया जाए, सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. प्रशिक्षण.—नियुक्त अधिकारी महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा समय-समय पर तय किए अनुसार प्रशिक्षण और निदेशों के पाठ्यक्रमों पर भारत अथवा विदेशों में जाने के लिए दायी होंगे। यदि किसी अधिकारी को छह माह या उससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रमों पर भेजा जाता है अथवा अवधि का ध्यान किए बिना उसे प्रशिक्षण के लिए भारत से बाहर अथवा भारत में गैर-सरकारी फर्मों या कारखानों को भेजा जाता है, यदि वह किसी भी कारण से प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अथवा प्रशिक्षण पूरा करने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा समाप्त करना चाहता है, तो वह प्रशिक्षण की पूरी लागत का प्रतिदाय करने के लिए दायी होंगे।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. भर्ती और छानबीन समिति.—

7.1 वैज्ञानिक 'बी' के प्रवेश स्तर पर सीधी भर्ती अनुसूची में परिभाषित अपेक्षताओं के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। वैज्ञानिक 'बी', 'सी' और 'डी' के पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती अनुसूची के स्तम्भ 11 में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

7.2 **छानबीन समिति** - वैज्ञानिक सी एवं डी के पद पर प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार करने के लिए अनुसूची के स्तम्भ 12 में परिभाषित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अनुसार, छानबीन समिति का गठन किया जाएगा।

7.3 **नमनीय अनुपूरक स्कीम के माध्यम से प्रोन्नति.**—छानबीन समिति नमनीय अनुपूरक स्कीम के माध्यम से प्रोन्नति, द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में दो बार प्रोन्नति की जाएगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से पूर्व ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई से पूर्व के तीन महीनों की अवधि के दौरान किसी पद पर नियमित सेवा पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, यथास्थिति के नामों पर अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उस तारीख को विचार किया जाएगा।

7.4 यदि वैज्ञानिक पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया जाता है, तो एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसके नाम पर पुनः विचार किया जाएगा।

7.5 नमनीय अनुपूरक योजना के अधीन अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए योग्यता का विनिश्चय करते समय मूल्यांकन समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी:—

(i) महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला की सिफारिश,

(ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के अनुसार वैज्ञानिक का कार्य निष्पादन, और

(iii) राष्ट्रीय परीक्षणशाला में किए गए कार्य के परिप्रेक्ष्य में उनके वैज्ञानिक योगदान और उपलब्धियों के विशेष संदर्भ में साक्षात्कार में उनका प्रदर्शन।

8. परिवीक्षा:—

- (1) वैज्ञानिक 'बी', चाहे सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा, सेवा में नियुक्ति होने पर, अनुसूची में यथापरिभाषित के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
- (2) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'सी' एवं वैज्ञानिक 'डी' के पद पर प्रोन्नति होने वालों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।
- (3) प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।

9. प्रोन्नति होने पर रिक्त हुए पदों अथवा किसी वैज्ञानिक के त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के कारण रिक्त हुए पद को भरना:—

- 9.1 पुनर्विलोकन के पश्चात् किसी वैज्ञानिक की स्वस्थाने प्रोन्नति होने से वह पद उसके साथ ही चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं होती है।
- 9.2 यदि किसी वैज्ञानिक के सेवानिवृत्त अथवा त्यागपत्र आदि के कारण कोई पद रिक्त होता है, तो वह पद उसी शाखा में वैज्ञानिक 'बी' के स्तर पर लाया गया माना जाता है जिस शाखा में वह वैज्ञानिक संबद्ध होता है और जिसके जाने से वह रिक्ति उत्पन्न हुई हो। यह अभिनिश्चित करना होगा कि क्या वह पद सीधी भर्ती कोटे का है या उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 11 के अनुसार वैज्ञानिक अधिकारी (समूह 'ख') के फीडर पद से वैज्ञानिक 'बी' के लिए प्रोन्नति कोटे का यदि पद प्रोन्नति कोटे का है, तो उसे वैज्ञानिक 'बी' के स्तर पर ही भरा जाना चाहिए। यदि वह पद सीधी भर्ती कोटे का है, तो उसे ऊपर निर्दिष्ट तरीके से ही भरा जाना चाहिए। तथापि, कार्य से संबंधित विशेष आवश्यकताओं के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से पद भरने की प्रक्रिया में सुधार पर विचार भी मान्य होगा।

10. **प्रोन्नति के लिए मार्ग:—**इन नियमों के अधीन प्रोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिक, वैज्ञानिक 'डी' के ग्रेड तक प्रोन्नति के लिए पात्र होगा।

11. **शिथिल करने की शक्ति:—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तथा उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. **व्यावृत्ति:—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (क) वैज्ञानिक 'बी' (इलैक्ट्रिकल)	12* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय	स्तर -10 (₹56,100 - ₹1,77,500)	चयन	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(क)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल/स्टोर्स/सामग्री/मापन उपकरण के परीक्षण/अंशांकन और मूल्यांकन में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रौद्योगिकी इंजीनियरी अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी बैचलर; और</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/संस्थान से इलैक्ट्रिकल स्टोर्स/सामग्री/मापन उपकरण के परीक्षण/अंशांकन और मूल्यांकन में दो वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>बांछनीय: परीक्षण एवं मूल्यांकन तकनीकी, सामग्री विज्ञान, गुणता नियंत्रण, मानकीकरण और अंशांकन में अनुसंधान एवं विकास का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>एक वर्ष</p>	<p>75% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है, द्वारा। 25% सीधी भर्ती द्वारा।</p>

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन/स्थानांतरण किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

ऐसे विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600/- रूपये 1,51,100/-) में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600/- रूपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण-1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर, पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) वैज्ञानिक 'सी' (गैर-विध्वंसक)	08* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -10 (₹ 56,100 - ₹ 1,77,500)	चयन	35 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन

					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(क)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) सामग्री के परीक्षण/मूल्यांकन/विफलता जांच में नियुक्ति के रूप में गैर-विध्वंसक/मैटेलोग्राफिक तकनीकों में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव अथवा</p> <p>(ख)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी बैचलर अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग/मैटेलर्जी में प्रौद्योगिकी बैचलर; और</p> <p>(ii) सामग्री के परीक्षण/मूल्यांकन/विफलता जांच में नियुक्ति के रूप में गैर-विध्वंसक/मैटेलोग्राफिक तकनीकों में दो वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त सोसाइटी/संस्थान से भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर स्तर से रेडिएशन में साईट इंचार्ज प्रमाणपत्र अथवा गैर-विध्वंसक परीक्षण पद्धतियों में से एक अथवा अधिक में I/II/III प्रमाणपत्र।</p> <p>(ii) वेल्डिंग तकनीक का ज्ञान</p> <p>टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>1 वर्ष</p>	<p>50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है, द्वारा। 50% सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी (गैर-विध्वंसक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों</p>

सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600/- रूपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण-1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>प्रत्येक अवसर पर, पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग) वैज्ञानिक 'बी' (मैकेनिकल)	09* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -10 (₹ 56,100 - ₹ 1,77,500)	चयन	<p>35 वर्ष से अनधिक</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति</p>

					जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(क)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग सामग्री/उत्पादों अथवा शुद्धता मापन/मीटरोलॉजी में परीक्षण/अंशांकन में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी बैचलर अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी बैचलर; और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग सामग्री/उत्पादों अथवा शुद्धता मापन/मीटरोलॉजी में परीक्षण/अंशांकन में दो वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>वांछनीय: इंजीनियरिंग सामग्री के परीक्षण और उपकरणों एवं मशीनों की मीटरोलॉजी/अंशांकन में अनुसंधान एवं विकास का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>1 वर्ष</p>	<p>50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है, 50% सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों</p>

सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600/- रूपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण-1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति: 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	प्रत्येक अवसर पर, पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(घ) वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी-सिविल)	06* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -10 (₹ 56,100 - ₹ 1,77,500)	चयन	35 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(क)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से विश्लेषण की भौतिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल के परीक्षण/मूल्यांकन में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी बैचलर अथवा कैमिकल इंजीनियरिंग/कैमिकल प्रौद्योगिकी/सिविल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी बैचलर; और</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से विश्लेषण की भौतिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल के परीक्षण/मूल्यांकन में दो वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>वांछनीय: (i) परीक्षण और मूल्यांकन तकनीक/गैर-विध्वंसक परीक्षण तकनीक, सामग्री विज्ञान, गुणता नियंत्रण, मानकीकरण तथा अंशांकन में अनुसंधान और विकास का अनुभव।</p> <p>(ii) इंजीनियरिंग प्रयोजनार्थ मृदा /अग्निशमन सामग्री/तापावरोधक सामग्री/सीमेंट/लकड़ी इत्यादि के परीक्षण की आधुनिक पद्धतियों में विशिष्ट ज्ञान।</p> <p>टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>1 वर्ष</p>	<p>67% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है, द्वारा। 33% सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)

प्रोन्नति:

ऐसे विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल कॉर्डर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>प्रत्येक अवसर पर, पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>(ड) वैज्ञानिक 'बी' (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक एवं वस्त्र)</p>	<p>05* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)</p>	<p>साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय</p>	<p>स्तर -10 (₹ 56,100 - ₹ 1,77,500)</p>	<p>चयन</p>	<p>35 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,</p>

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(क)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी/रसायन में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से वस्त्र, पॉलीमर, पेपर, चमड़ा, रबड़ इत्यादि जैसी सामग्री के परीक्षण एवं मूल्यांकन में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी बैचलर अथवा कैमिकल इंजीनियरिंग/कैमिकल प्रौद्योगिकी/ वस्त्र प्रौद्योगिकी/रबड़ प्रौद्योगिकी/प्लास्टिक प्रौद्योगिकी/ अथवा पॉलीमर एवं रबड़ प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी बैचलर; और</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से वस्त्र, पॉलीमर, पेपर, चमड़ा, रबड़ इत्यादि जैसी सामग्री के परीक्षण एवं मूल्यांकन में दो वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव।</p> <p>बांछनीय: (i) वस्त्र, रबड़, पॉलीमर, पेपर, चमड़ा इत्यादि के परीक्षण की आधुनिक इंस्ट्रुमेंटल पद्धतियों में प्रशिक्षण।</p> <p>टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>1 वर्ष</p>	<p>70% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है, द्वारा। 30% सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)

प्रोन्नति:

ऐसे विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रबड़, प्लास्टिक एवं कपड़ा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>प्रत्येक अवसर पर, पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(च) वैज्ञानिक 'बी' (रसायन)	19* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -10 (₹ 56,100 – ₹ 1,77,500)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा।

(11)

प्रोन्नति:

ऐसे विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600/- रुपये 1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) निम्नलिखित अर्हताओं और अनुभव का धारक हो:

आवश्यक:

(क)

- (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन/माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री; और
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से, परीक्षण की इंस्ट्रुमेंटल पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, बिल्विंग सामग्रियों, धातुओं, अयस्कों और खनिजों, तेल एवं ईंधन, खाद्य, पानी, पेंट्स इत्यादि जैसी सामग्रियों के रसायनिक विश्लेषण में एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव

अथवा

(ख)

- (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी बैचलर अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी /कैमिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी बैचलर; और
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान से, परीक्षण की इंस्ट्रुमेंटल पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, बिल्विंग सामग्रियों, धातुओं, अयस्कों और खनिजों, तेल एवं ईंधन, खाद्य, पानी, पेंट्स इत्यादि जैसी सामग्रियों के रसायनिक विश्लेषण में दो वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव।

वांछनीय: (i) जिन क्षेत्रों में शैक्षिक अर्हताएं अर्जित की हैं, उनमें अनुसंधान एवं विकास कार्य का अनुभव।

टिप्पण-1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति: 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	प्रत्येक अवसर पर, पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'सी' (इलैक्ट्रिकल)	07* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसूचिवीय	स्तर -11 (₹ 67,700 - ₹ 2,08,700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन 100% प्रोन्नति द्वारा	ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'बी' (विद्युत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रुपये 56,100/- रुपये 1,77,500/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	स्तर-1 छानबीन समिति : 1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य स्तर -2 छानबीन समिति 1. भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'सी' (गैर-विध्वंसक)	03* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -11 (₹ 67,700 - ₹ 2,08,700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन 100% प्रोन्नति द्वारा	<p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'बी' (गैर-विध्वंसक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रुपये 56,100/- रुपये 1,77,500/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>स्तर-1 छानबीन समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग: अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>स्तर -2 छानबीन समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'सी' (मैकेनिकल)	04* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -11 (₹ 67,700 - ₹ 2,08,700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन	ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'बी' (मैकेनिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (रुपये 56,100/- रुपये 1,77,500/-) में नियमित	<p>स्तर-1 छानबीन समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

100% प्रोन्नति द्वारा	<p>आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>3. परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य</p> <p>4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p>स्तर -2 छानबीन समिति</p> <p>1. भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य</p> <p>4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	
-----------------------	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'सी' (भौतिक सिविल)	02* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -11 (₹ 67,700 - ₹ 2,08,700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन 100% प्रोन्नति द्वारा	<p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'बी' (भौतिक सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रूपये 56,100/- रूपये 1,77,500/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या</p>	<p>स्तर-1 छानबीन समिति :</p> <p>1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य</p> <p>4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p>स्तर -2 छानबीन समिति</p> <p>1. भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य</p> <p>4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

		पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'सी' (भौतिक रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र)	01* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -11 (₹ 67,700 - ₹ 2,08,700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन 100% प्रोन्नति द्वारा	<p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'बी' (भौतिक रबड़, प्लास्टिक एवं वस्त्र) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रूपये 56,100/- रूपये 1,77,500/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>स्तर-1 छानबीन समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : अध्यक्ष निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>स्तर -2 छानबीन समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' : अध्यक्ष महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'सी' (रसायन)	08* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -11 (₹ 67,700 - ₹ 2,08,700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन 100% प्रोन्नति द्वारा	<p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'बी' (रसायन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रूपये 56,100/- रूपये 1,77,500/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>स्तर-1 छानबीन समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>स्तर -2 छानबीन समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' : अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'डी' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैज्ञानिक 'डी'	04* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर -12 (₹ 78,800 - ₹ 2,09,200)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन 100% प्रोन्नति द्वारा	<p>ऐसे विभागीय वैज्ञानिक 'सी' (किसी भी विषय से संबंधित) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रूपये 67,700/- रूपये 2,08,700/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष सेवा की है।</p>	<p>स्तर-1 छानबीन समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा, अथवा अंतरिक्ष विभाग, अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिक 'ई' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

	<p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p>स्तर -2 छानबीन समिति</p> <p>1. भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन से एक वैज्ञानिक 'जी' : अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला से बाहर से संबंधित विषय में वैज्ञानिक 'ई' अथवा उससे ऊपर के स्तर के दो विशेषज्ञ : सदस्य</p> <p>4. निदेशक/उपसचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	
--	---	--	--

[फा. सं. ए-12018/05/2015-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उपनिदेशक (एन.टी.एच.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

G.S.R. 1220(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Test House, (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1993, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service to the posts of Scientists (Group 'A' Gazetted posts, Non-Ministerial) in the National Test House, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Test House, Scientists (Group 'A' Gazetted Posts, Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the Pay Matrix.— The number of posts, its classification, level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment and promotion.— (1) The posts of Scientist 'B' to Scientist 'D' shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment through promotion, except for filling up of Scientist 'B' posts through promotion failing which by deputation (including short-term contract) and by direct recruitment.

(3) Recruitment for the posts of Scientist 'B' shall be made either by promotion failing which by deputation (including short-term contract) and by direct recruitment or by promotion failing which by deputation (including short-term Contract) as specified in Schedule.

(4) Recruitment for the posts of Scientist 'C' to 'D' shall be made by promotion under Flexible Complementing Scheme as amended by the Department of Personnel and Training from time to time.

(5) The experience specified in Column 7 of the Schedule shall be the experience acquired after obtaining the basic educational qualifications.

4. **Liability of officers to serve in India and abroad.** - Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India or outside India whenever so deputed.

5. **Training.**- Officers appointed shall be liable to undergo such training and be nominated to courses of instruction in India or abroad, as the Director General, National Test House, may decide from time to time. An officer nominated for training or courses, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India, or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

6. **Disqualification . -** No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Recruitment and Screening Committee.-**

7.1 Direct recruitment at the entry level of Scientist 'B' shall be through Union Public Service Commission as per the requirement defined in the schedule. Recruitment of Scientist 'B', 'C' and 'D' by promotion shall be as per procedure defined in Column 11 of the schedule.

7.2 Screening Committee .- Screening Committee shall be constituted for considering the eligibility of the candidates for promotion to Scientist C and D as per Flexible Complementing Scheme defined under Column No.12 in the Schedule.

7.3 **Promotion through Flexible Complementing Scheme (FCS) .-** Promotion through Flexible Complementing Scheme, meeting by the Screening Committee shall be done twice in a calendar year that is before 1st January and 1st July of every year. Those who have completed or will complete requisite years of regular service in a post during a period of three months before the 1st January or 1st July, as the case may be, will be considered as on that date for promotion to the next higher grade.

7.4 A person holding a scientific post not found fit for promotion shall be eligible for the next chance only after a lapse of period of one year.

7.5 For deciding the fitness for promotion under Flexible Complementing Scheme to the next higher grade, Screening Committee shall take into consideration,

- (i) the recommendation of Director General, National Test House;
- (ii) the performance of the scientist with reference to his or her Annual Performance Assessment Report; and
- (iii) his or her performance in the interview with special reference to his or her scientific contribution and achievement in the perspective of the work done in the National Test House.
- (iv)

8. Probation.-

- (1) Scientist 'B' on appointment to the service, either by direct recruitment or by promotion, shall be on probation for a period of one year as defined in the schedule.
- (2) There shall be no probation for Scientist 'B' promoted as Scientist 'C' and Scientist 'D'.
- (3) There shall be no probation for officers appointed on deputation (including short-term contract).

9. Filling up of vacancies arising due to promotion or vacation of the post by a Scientist due to resignation or superannuation or death.-

9.1 A scientist promoted in situ after a review shall carry the post with him and consequently no vacancy is caused.

9.2 When a vacancy is caused due to a Scientist vacating a post on retirement or on resignation, the post that falls vacant shall be deemed to have been brought down to the level of Scientist 'B' in the same discipline to which the vacating Scientist belonged. It will be ascertained whether the post falls in the direct recruitment quota or the promotion quota for Scientist 'B' from the feeder post of Scientific Officer (Group 'B') as provided in Column 11 of the aforesaid schedule. If the post falls in the promotion quota it shall be filled as such at the level of Scientist 'B'. In case the post falls in the direct recruitment quota, it shall be filled in the same manner as specified above.

10. **Avenue for promotion .-** A scientist will be eligible for promotion upto the grade of Scientist 'D' through promotion process under these rules.

11. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (a) Scientist 'B' (Electrical).	12*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500)	Selection	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(A) (i) Master's Degree in Physics from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) One Year's practical experience in the testing/ calibration and evaluation of electrical stores/materials/measuring instruments in a recognised laboratory or institute.</p> <p>or</p> <p>(B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering/ Electrical and Electronic Engineering/ Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two Years practical experience in the testing/ calibration and evaluation of electrical stores/ materials/measuring instruments in a recognised laboratory/ institute.</p> <p>Desirable : Research and Development experience in testing and evaluation techniques, material science, quality control, standardisation and calibration.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification: No</p>	<p>one year</p>	<p>75 % by promotion failing which by deputation including short-term contract. 25% by direct recruitment.</p>
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion / deputation/ absorption to be made.			
(11)			
<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Scientific Officer (Electrical) in level – 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in the Pay Matrix with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>			

Deputation (Including short-term contract) :

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in Pay Matrix or equivalent in the parent

Cadre or department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Director General, National Test House - Member Joint Secretary, Department of Consumer Affairs. - Member <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Director General, National Test House - Chairman Director, National Test House - Member Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(b) Scientist 'B' (Non - Destructive).	08*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A , Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500)	Selection	<p>Not exceeding thirty five years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(A) (i) Master's Degree in Physics from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) one year practical experience in non-destructive/metallographic techniques as</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification: No</p>	one year	50 % by promotion failing which by deputation including short-

<p>employed in testing/evaluation/failure investigation of materials.</p> <p>OR</p> <p>(B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering/Mechanical Engineering/Metallurgy from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two years' practical experience in non-destructive/metallographic techniques as employed in testing/evaluation/failure investigation of materials.</p> <p>Desirable: (i) Site Incharge Certificate of Radiation from Bhaba Atomic Research Centre level or I/II/III certificate in one or more of non-destructive testing methods from any recognised Society/Institute.</p> <p>(ii) Knowledge of welding technology.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p>term contract. 50% by direct recruitment.</p>
--	--	--	--

(11)	
<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Scientific Officer (Non-Destructive) in level – 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in the Pay Matrix with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) :</p> <p>Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

2. Director General, National Test House	- Member	
3. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs.	- Member	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee :-		
1. Director General, National Test House	- Chairman	
2. Director, National Test House	- Member	
3. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs	- Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(c) Scientist 'B' (Mechanical).	09*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500)	Selection	<p>Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(A) (i) Master's Degree in Physics from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) one year practical experience in the testing/calibration of engineering materials/products or in precision measurements/metrology in a recognised laboratory or institute.</p> <p>OR</p> <p>(B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two years 'practical experience in the testing/calibration of engineering materials/products or in precision measurements/metrology in a recognised laboratory or institute.</p> <p>Desirable : Research and Development experience in testing of engineering materials and metrology/calibration of instruments and machines.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification: No</p>	one year	<p>50 % by promotion failing which by deputation including short-term contract. 50% by direct recruitment.</p>

(11)
<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Scientific Officer (Mechanical) in level – 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in the Pay Matrix with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) :</p> <p>Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or Statutory Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Director General, National Test House - Member Joint Secretary, Department of Consumer Affairs. - Member <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Director General, National Test House - Chairman Director, National Test House - Member Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(d) Scientist 'B' (Physical Civil).	06*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500)	Selection	<p>Not exceeding thirty five years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(A) (i) Master's Degree in Physics or Chemistry from a recognised University/Institute; and</p> <p>(ii) One year practical experience in the testing/evaluation of building construction materials employing physical methods of analysis in a recognised Laboratory/Institute.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering/ Chemical Technology/ Civil Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two years' practical experience in the testing/evaluation of building construction materials employing physical methods of analysis in a recognised Laboratory or Institute.</p> <p>Desirable : (i) Research and Development experience in testing and evaluation techniques/Non Destructive Testing techniques, material science, quality control, standardisation and calibration.</p> <p>(ii) Specialised knowledge of modern methods of testing soil for engineering purposes/refractory materials/heat insulating materials/cement/timber, etc.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification: No</p>	<p>one year</p>	<p>67 % by promotion failing which by deputation including short-term contract. 33% by direct recruitment.</p>

(11)
<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Scientific Officer (Physical Civil) in level – 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in the Pay Matrix with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) :</p> <p>Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or Statutory Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre</p>

post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Director General, National Test House - Member Joint Secretary, Department of Consumer Affairs. - Member <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Director General, National Test House - Chairman Director, National Test House - Member Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(e) Scientist 'B' (Physical Rubber, Plastic and Textile).	05*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500)	Selection	<p>Not exceeding thirty five years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(A) (i) Master's Degree in Physics/Chemistry from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) One year practical experience in the testing and evaluation of materials such as textile, polymer, paper, leather, rubber etc. in a recognised laboratory/institute.</p> <p>or</p> <p>(B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering/ Chemical Technology/Textile Technology/ Rubber Technology/ Plastic Engineering/ or Polymer and Rubber Technology from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two years' practical experience in the testing and evaluation of materials such as textile, polymer, paper, leather, rubber etc. in a recognised laboratory or institute.</p> <p>Desirable : Training in modern instrumental methods of testing textiles, rubber, polymer, paper, leather etc.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification: No</p>	one year	<p>70 % by promotion failing which by deputation (including short-term contract. 30% by direct recruitment.</p>

Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)
<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Scientific Officer (Physical Rubber, Plastic and Textile) in level – 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in the Pay Matrix with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) :</p> <p>Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Director General, National Test House - Member Joint Secretary, Department of Consumer Affairs. - Member <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Director General, National Test House - Chairman Director, National Test House - Member Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(f) Scientist 'B' (Chemical)	19*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500)	Selection	Not Applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	one year	Promotion failing which by deputation (including short- term contract).

(11)
<p>Promotion:</p> <p>The Departmental Scientific Officer (Chemical) in level – 8 (Rupees 47,600-1, 51,100) in the Pay Matrix with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) :</p> <p>Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or Statutory Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry/ Microbiology from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) One year's practical experience chemical analysis of materials such as building materials, metals, ores and minerals, oil and fuels, food, water, paints etc. in a recognised laboratory or institute using instrumental methods of testing.</p> <p>or</p> <p>(c) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Technology/Chemical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two years' practical experience in chemical analysis of materials such as building materials, metals, ores and minerals, oil and fuels, food water, paints etc. in a recognised laboratory or institute using instrumental methods of testing.</p> <p>Desirable: Experience of Research and Development work in the areas covered in educational qualification.</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Director General, National Test House - Member Joint Secretary, Department of Consumer Affairs. - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>
<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Director General, National Test House - Chairman Director, National Test House - Member Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'C' (Electrical).	07*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under modified Flexible Complementing Scheme	<p>The Departmental Scientist 'B' (Electrical) in level 10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500) in the Pay Matrix with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Level -1 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs -Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'D' or above from Department of Atomic Energy, or Space, or Defence Research and Development Organisation - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member <p>Level – 2 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'D' or above in the respective discipline from outside the National Test House - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'C' (Non-Destructive).	03*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under Modified	The Departmental Scientist 'B' (Non-Destructive) in level 10	Level -1 Screening Committee :	Consultation with Union Public

	Flexible Complementing Scheme	(Rs.56,100 – Rs.1,77,500) in the Pay Matrix with three years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'D' or above from Department of Atomic Energy, or Space, or Defence Research and Development Organisation 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member Level – 2 Screening Committee : 1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'D' or above in the respective discipline from outside National Test House - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member	Service Commission is not necessary.
--	-------------------------------------	---	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'C' (Mechanical).	04*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under Modified Flexible Complementing Scheme	The Departmental Scientist 'B' (Mechanical) in level 10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500) in the Pay Matrix with three years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully	Level -1 Screening Committee : 1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'D' or above from Department of Atomic Energy, or Space, or Defence Research and Development Organisation 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member Level – 2 Screening Committee : 1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'D' or above in the respective discipline from outside National Test House - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'C' (Physical Civil).	02*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under Modified Flexible Complementing Scheme	<p>The Departmental Scientist 'B' (Physical Civil) in level 10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500) in the Pay Matrix with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Level -1 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'D' or above from Department of Atomic Energy, or Space, or Defence Research and Development Organisation - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member <p>Level – 2 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'D' or above in the respective discipline from outside National Test House - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'C' (Physical Rubber, Plastic and Textile).	01*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under Modified Flexible Complementing Scheme	<p>The Departmental Scientist 'B' (Physical Rubber, Plastic and Textile) in level 10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500) in the Pay Matrix with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Level -1 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'D' or above from Department of Atomic Energy or Space, or Defence Research and Development Organisation - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member <p>Level – 2 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'D' or above in the respective discipline from outside National Test House - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'C' (Chemical).	08*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under Modified Flexible Complementing Scheme	<p>The Departmental Scientist 'B' (Chemical) in level 10 (Rs.56,100 – Rs.1,77,500) in the Pay Matrix with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying</p>	<p>Level -1 Screening Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'D' or above from Department of Atomic Energy, or Space, or Defence Research and Development Organisation - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member <p>Level – 2 Screening Committee :</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'D' or above in the respective discipline from outside - Members National Test House 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientist 'D'.	04*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-12 (Rs.78,800 – Rs.2,09,200).	Selection	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion under Modified Flexible Complementing Scheme	The Departmental Scientist 'C' (of any discipline) in level 11 (Rs.67,700 – Rs.2,08,700) in the Pay Matrix with four years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Level -1 Screening Committee : 1. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman 2. Director, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientists 'E' or above from Department of Atomic Energy, or Space, or Defence Research and Development Organisation - Members 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member Level – 2 Screening Committee : 1. A Scientist 'G' from a Scientific Ministry/ Department/Organisation of Government of India - Chairman 2. Director General, National Test House - Member 3. Two experts of the level of Scientist 'E' or above in the respective discipline from outside - Members National Test House 4. Director/Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2015 – NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)